

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ) प्रेस नोट

- उपखण्ड कार्यालय नैनवा जिला बूंदी में वरिष्ठ सहायक (रीडर) व उसका दलाल 5,0000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 20 मार्च, गुरुवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी टोंक द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री मारुती नन्दन पुत्र श्री रामदेव नागर, निवासी रविन्द्र कॉलोनी नैनवा पुलिस थाना नैनवा हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी के लिए सह आरोपी लक्ष्मीकांत पुत्र श्री नंदलाल खन्ना निवासी वार्ड न. 4 नैनवा, खारा कुआ पुलिस थाना नैनवा हाल सफाईकर्मी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बंदी को 5,0000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी टोंक को एक शिकायत इस आशय की मिली की आरोपी द्वारा परिवादी के उपखण्ड कार्यालय नैनवा में लम्बित वाद में स्टे आदेश करवाने की एवज में 5,0000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालुराम रावत के सुपरविजन में एसीबी टोंक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री झाबर मल द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री मारुती नन्दन पुत्र श्री रामदेव नागर निवासी रविन्द्र कॉलोनी नैनवा पुलिस थाना नैनवा हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी के लिए सह आरोपी लक्ष्मीकांत पुत्र श्री नंदलाल खन्ना निवासी वार्ड न. 4 नैनवा, खारा कुआ पुलिस थाना नैनवा हाल सफाईकर्मी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बूंदी को 5,0000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।